उत्तर प्रदेश सरकार

लेखे एक दृश्टि में

2010-2011

महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)
उत्तर प्रदेश

आमुख

मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के ''लेखे एक दृष्टि में'' के वार्षिक प्रकाशन के त्रयोदश संस्करण को प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। इसके प्रकाशन का मुख्य उद्‌देश्य, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निदेशन के अधीन मेरे कार्यालय द्वारा तैयार किये गये एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार राज्य विधान मण्डल को प्रस्तुत किये गये वार्षिक वित्त एवं विनियोग लेखे (वर्तमान वर्ष में कुल 986 पृष्ठ) में उपलब्ध लेखे से सम्बन्धित विस्तृत सूचनाओं को और अधिक परिष्कृत, संक्षिप्त एवं समझने योग्य सरल बनाना है।

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग द्वारा इन वर्षों में हुए वृहद् परिवर्तनों को विभिन्न रिपोर्टों/आख्याओं के प्रस्तुतीकरण के द्वारा दावेदारों (विधान मंडल, कार्यकारी एवं सर्वजन) को सूचित किया गया। सरकार /शासन की वित्तीय स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने के लिये अतिरिक्त विवरणों के समावेश के साथ वित्त लेखे के प्रारूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। फलस्वरूप वित्त लेखे दो खण्डों में हैं। इन परिवर्तनों को देखते हुए ''लेखे एक दृष्टि में'' में भी आमूल संशोधन कर उसे व्यापक बनाया गया है। संयुक्त रूप में 'वित्त लेखे', 'विनियोग लेखे', 'राज्य के वित्तीय रिपोर्ट' एवं 'लेखे एक दृष्टि में' आदि के अध्ययन से दावेदारों को उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय पक्ष के विभिन्न पहलुओं को व्यापक एवं प्रभावी ढंग से समझने में सहायक होंगी।

हमें आपके सुझावों एवं टिप्पणियों की अपेक्षा है जो इसके प्रकाशन के सुधार में सहायक हो सके।

(पी0के0 तिवारी)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तर प्रदेश

स्थान: इलाहाबाद
दिनांक: 01-03-2012

gekjk nf'Vdks.k] y{; ,oa cqfu;knh ewY;

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संस्थान का ''दृष्टिकोण'' यह प्रस्तुत करता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।

हमारा प्रयास है कि हम विश्व में अग्रणी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा तथा लेखाकरण के पेशे में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सूत्रधार के रूप में सर्वोत्तम बनें एवं लोक लेखे तथा सुशासन में हमारी पहचान स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित एवं सामयिक हो।

हमारा लक्ष्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता है तथा आज जो हम कर रहे हैं उसे वर्णित करता है।

भारत के संविधान के द्वारा अधिदेशाधीन हम लेखा परीक्षा तथा लेखाकरण में उच्च गुणवत्ता, द्वारा उत्तरदायित्व पारदर्शिता तथा सुशासन को बढ़ावा देते हैं तथा अपने दावेदारों (विधानमण्डल, कार्यकारी तथा सर्वजन) को आश्वासन देते हैं कि लोक निधियां कुशलतापूर्वक मूल उद्देश्यों के लिये ही प्रयुक्त की जा रही हैं।

हमारे ''बुनियादी मूल्य'' हमारे हर कार्य के मार्गदर्शन में एक प्रकाश स्तम्भ है तथा हमें कार्य के निर्धारण एवं निष्पादन के आकलन में मानक परिमाप देते हैं।

- स्वतंत्रता
- निष्पक्षता
- ईमानदारी
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

fo’k; lwph

v/;k; 1	परिदृश्य	पृष्ठ
1.1	परिचय	5
1.2	लेखे की संरचना	5
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	7
1.4	निधियों का स्रोत एवं उपयोग	9
1.5	लेखे के मुख्य अंश	12
1.6	घाटा एवं आधिक्य क्या दर्शाते है ?	13
v/;k; 2	प्राप्तियां	
2.1	परिचय	15
2.2	राजस्व प्राप्तियां	15
2.3	प्राप्तियों का प्रवाह	16
2.4	राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रह का निष्पादन	18
2.5	कर संग्रह की दक्षता	18
2.6	संघ करों में राज्यांश का प्रवाह	19
2.7	सहायता अनुदान	20
2.8	लोक ऋण	20
v/;k; 3	व्यय	
3.1	परिचय	21
3.2	राजस्व व्यय	21
3.3	पूंजीगत व्यय	23
v/;k; 4	आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्यय	
4.1	व्यय का वितरण	25
4.2	आयोजनागत व्यय	25
4.3	आयोजनेत्तर व्यय	26
4.4	प्रतिबद्ध व्यय	26
v/;k; 5	विनियोग लेखे	
5.1	विनियोग लेखे के सारांश	27
5.2	विगत 5 वर्षों के दौरान बचत/व्ययाधिक्य का प्रवाह	27
5.3	पर्याप्त बचत	28
v/;k; 6	परिसम्पत्तियां एवं दायित्व	
6.1	परिसम्पत्तियां	30
6.2	ऋण एवं देयतायें	30
6.3	प्रत्याभूतियां	31
v/;k; 7	अन्य मदें	
7.1	महत्वपूर्ण लेन देनों के चेकों का व्यपगत होना	32
7.2	राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण तथा अग्रिम	32
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	32
7.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश	33
7.5	लेखे का मिलान	33
7.6	कोषागारों द्वारा प्रस्तुत लेखे	34
7.7	सार आकस्मिकता बिल तथा विस्तृत आकस्मिकता बिल	35
7.8	व्यय	35
7.9	अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की प्रतिबद्धता	36

V/;k; I

ifjn`';

1.1 ifjp;

उत्तर प्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश संकलित करते हैं। यह संकलन भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह एवं जिला कोषागारों, लोक निर्माण विभाग तथा वन प्रभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारम्भिक लेखाओं के आधार पर संकलित किया गया है। इस संकलन से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे तैयार करते हैं, जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तर प्रदेश द्वारा लेखापरीक्षा के पश्चात् तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा प्रमाणीकरण के बाद, राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

1.2 ys[kk dh lajpuk

1.2.1 ljdkjh ys[kk dk rhu Hkkxksa esa j[kk tkrk gS

Hkkx 1 lesfdr fuf/k	राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं पर प्राप्तियां एवं व्यय, लोक ऋण तथा ऋण एवं अग्रिम।
Hkkx 2 vkdfLedrk fuf/k	बजट में प्रावधान न किये गये अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के उद्देश्य से रखा गया। इस निधि से किये गये व्यय बाद में समेकित निधि द्वारा आपूरित किये जाते हैं।
Hkkx 3 Ykksd ys[kk	इसमें ऋण, जमा, अग्रिम, प्रेषण तथा उचन्त की अन्तरण आदि शामिल हैं। ऋण तथा जमा सरकार द्वारा पुनर्भुगतान के दायित्वों को प्रदर्शित करते हैं। सरकार को प्राप्त होने योग्य अग्रिम दर्शाते हैं। प्रेषण तथा उचन्त के अन्तरण, अंततः अन्तिम शीर्ष लेखों में समायोजित प्रविष्टि द्वारा समाशोधित किये जाते हैं।

1.2.2 y[kkvk dk ladyu

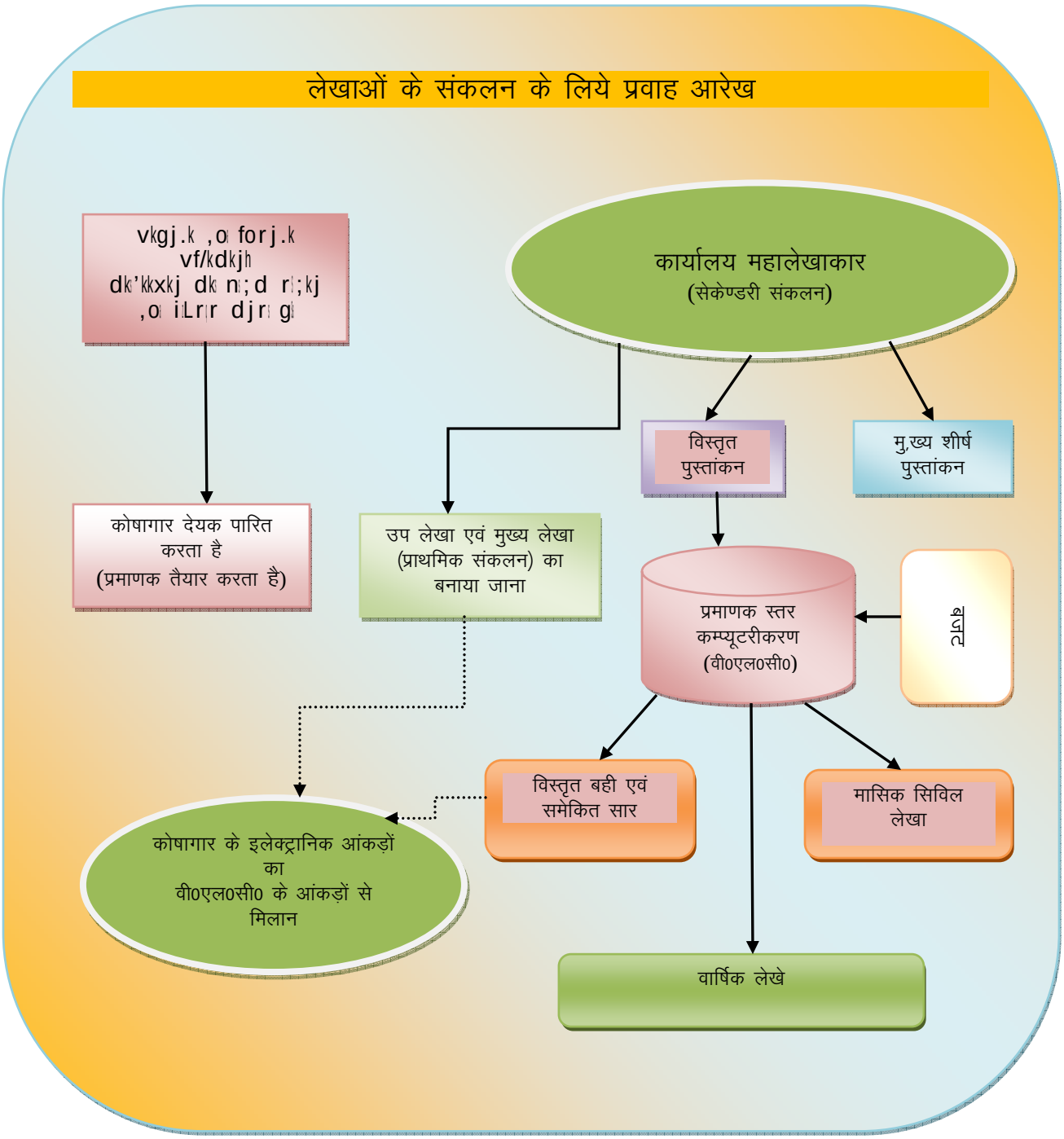

1-3 foRr y[k ,o fofu;kx y[k

1-3-1 foRr y[k

वित्त लेखे वर्ष में सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ लेखाओं में राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लोक ऋण एवं लोक लेखाओं के अभिलिखित अवशेषों को प्रदर्शित किया जाता है। वित्त लेखे को नये फार्मेट में दो खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है ताकि उसे और अधिक विस्तृत एवं सूचनापूर्ण बनाया जा सके। वित्त लेखे के खण्ड–I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरणों का सारांश एवं "लेखे पर टिप्पणी" जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों, लेखाओं की गुणवत्ता एवं अन्य मद हैं, समाविष्ट है, खण्ड– II में अन्य विवरणों का सारांश (भाग– I) विस्तृत विवरण (भाग– II) तथा परिशिष्ट (भाग–III)।

वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे में उत्तर प्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों को नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ ₹ में)

ikfIr;k ¼dy tkM 128916-63½	dy jktLo ¼dy tkM 111183-76½	कर राजस्व	84573.90
		कर भिन्न राजस्व	11176.21
		सहायता अनुदान	15433.65
	dy iwathxr ¼dy tkM 17732-87½	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	485.17
		उधार एवं अन्य उत्तरदायित्व *	17247.70
lforj.k ¼dy tkM 128916-63½	jktLo		107675.61
	iwathxr		20272.80
	_.k ,o vfxze		968.22

* उधार और अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियां–संवितरण) + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियां–संवितरण)+ निवल रोकड़ शेष का आदि तथा अन्त शेष।

केन्द्र सरकार राज्य की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए लागू करने वाली एजेंसियों / गैर सरकारी संगठनों को सीधे पर्याप्त निधि हस्तान्तरित करती है। इस वर्ष भारत सरकार ने सीधे ₹14348.44 करोड़ (₹13770.19 करोड़ विगत वर्ष) जारी/अवमुक्त किया। चूँकि ये निधियॉ राज्य बजट के माध्यम से नहीं कराई गई हैं, वे राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती हैं। इन हस्तान्तरण/स्थानान्तरण को अब वित्त लेखे, खण्ड–।। के परिशिष्ट–VII में प्रदर्शित किया गया है।

1-3-2 fofu;kx y[k

विनियोग लेखे वित्त लेखे का पूरक है। वे राज्य सरकार के व्यय समेकित निधि के विरूद्ध "प्रभारित" अथवा राज्य विधान मंडल द्वारा दत्तमत प्रदर्शित किया जाता है। 44 प्रभारित विनियोग तथा 90 दत्तमत अनुदान है।

विनियोग अधिनियम, 2010–11 द्वारा सकल व्यय के लिए ₹172475.89 करोड़ एवं व्यय में कमी (वसूली) के लिए ₹13814.78 करोड़ प्रावधान किया गया। इसके विरूद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹148543.76 करोड़ तथा व्यय में कमी ₹12244.05 करोड़ था। इसके परिणाम स्वरूप ₹23932.13 करोड़ (13.9%) की निवल बचत हुई एवं ₹1570.73 करोड़ (11%) के अनुमान से भी कम वसूली/व्यय में कमी हुई। राजस्व के अन्तर्गत व्यय में कमी अनुमान से अधिक थी जबकि पूँजीगत के अन्तर्गत अनुमान से कम। आकस्मिक सार देयक (ए0सी0) पर आहरित सकल व्यय में ₹ 77.20 करोड़ शामिल है जिसमें से ₹53.28 करोड़ अभी भी विस्तृत आकस्मिक देयक (डी0सी0) के समर्थन के अभाव में वर्ष के अन्त तक बकाया है।

वर्ष 2010–11 में ₹4.71 करोड़ समेकित निधि से लोक लेखा के अधीन व्यक्तिगत जमा लेखा (पी0डी0) हस्तांतरित किया गया जिसे विशिष्ट प्रयोजनों के लिए पदासीन प्रशासकों द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। सामान्यतः वित्तीय वर्ष के अन्त तक व्यक्तिगत जमा खाता (पी0डी0) के अन्तर्गत अप्रयुक्त अवशेषों को सरकार को वापस हस्तांतरित कर देना चाहिए। परन्तु खाता धारकों द्वारा वर्ष के दौरान 66 व्यक्तिगत खाते (शीर्ष 8443–106 के अधीन) में ₹ 0.43 करोड़ की राशि के सम्बन्ध में ऐसा नहीं किया गया। राज्य के विभिन्न कोषागारों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 1606 में से केवल 151 व्यक्तिगत जमा लेखों (पी0डी0) का ही मिलान हो पाया है। यह भी संज्ञान में आया है कि बजट आबंटन की अवशेष राशि सार आकस्मिक देयक (ए0सी0) के माध्यम से आहरित की गयी है और समेकित निधि के विभिन्न मुख्य सेवा शीर्षो में नामे (डेविट) कर उद्दिष्ट व्यक्तिगत जमा लेखा (पी0डी0) के अन्तर्गत जमा किया गया।

1-4 fuf/k;k dk Jkr ,o mi;kx

1-4-1 vFkkik; vfxze

भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) राज्यों को अपनी तरलता बनाये रखने हेतु उनके लिए अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा को प्रदान करता है। ओवर ड्राफ्ट (ओ0डी0) की सुविधा तब प्रदान की जाती है जब कभी भारतीय रिजर्व बैंक (आर 0बी0आई0) से सहमत न्यूनतम रोकड़ शेष (₹4.71 करोड़) के रखरखाव में कमी हो जाय। वर्ष 2010–11 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने ओवर ड्राफ्ट (ओ0डी0) की सुविधा का सहारा नहीं लिया तथा मात्र 4 दिनों के लिए अर्थोपाय अग्रिम (₹ 713.88 करोड़)का लाभ उठाया। यह देखने योग्य तथ्य है कि लगभग सभी 91 अनुदानों में कुल बचत ₹23932.13 करोड़ थी जिसके परिणाम स्वरूप अनुमानित व्यय के विरूद्ध 14% की कमी हुई।

1-4-2 fuf/k iokg fooj.k

राज्य के पास ₹3508.15 करोड़ का राजस्व अधिशेष था एवं ₹17247.70 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जोकि क्रमशः 0.6% और 2.93% सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) को प्रदर्शित करते हैं।राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 13.38% था। इस घाटे की पूर्ति लोक ऋण (₹14011 करोड़), लोक लेखा (₹3493 करोड़),आकस्मिकता निधि से अनापूरित योगदान (₹ (–)39.90 करोड़) और निवल प्रारम्भिक एवं अंतिम रोकड़ अवशेष (₹(–)216.40 करोड़) से की गई। राज्य सरकार का लगभग 64.24% राजस्व प्राप्तियॉ (₹111183.76 करोड़) को प्रतिबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹40159.52 करोड़), ब्याज का भुगतान (₹14215.57 करोड़), पेंशन (₹12617.84 करोड़) तथा सब्सिडी (₹4436.97करोड़) पर व्यय किया गया।

[1] जहॉ इंगित है इसके अलावा, जी0एस0डी0पी0 के आंकड़े जो इस संस्करण में प्रयोग किये गये हैं, निदेशक आर्थिक एवं सांख्यकीय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ से प्राप्त सूचनाओं से लिए गये हैं।

fuf/k;ksa dk lzksr ,oa mi;ksx

(करोड़ ₹ में)

	fooj.k	/kujkf'k
lzksr	दिनांक 01.04.2010 को आरम्भिक रोकड़ शेष	198.23
	राजस्व प्राप्तियॉ	111183.76
	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	485.17
	लोक ऋण	21394.08
	आकस्मिकता निधि	0.00
	अल्प बचत, भविष्य निधि एवं अन्य	9857.02
	आरक्षित एवं निक्षेप निधियॉं	8576.84
	जमा प्राप्तियॉं	15408.24
	सिविल अग्रिमों का प्रतिदान	152.19
	उचन्त लेखा	207834.69
	प्रेषण	17747.96
	;ksx	392838.18
mi;ksx	राजस्व व्यय	107675.61
	पूंजीगत व्यय	20272.80
	प्रदत्त ऋण	968.22
	लोक ऋण का भुगतान	7383.08
	आकस्मिकता निधि	39.90
	अल्प बचत, भविष्य निधि तथा अन्य	4986.05
	आरक्षित एवं निक्षेप निधियॉं	6238.19
	जमा संवितरण	13564.01
	प्रदत्त सिविल अग्रिमों का संवितरण	153.82
	उचन्त लेखा	213760.64
	प्रेषण	17381.23
	दिनांक 31.03.2011 को अंतिम रोकड़ शेष	414.63
	;ksx	392838.18

1.4.3. *रूपया कहाँ से आया*

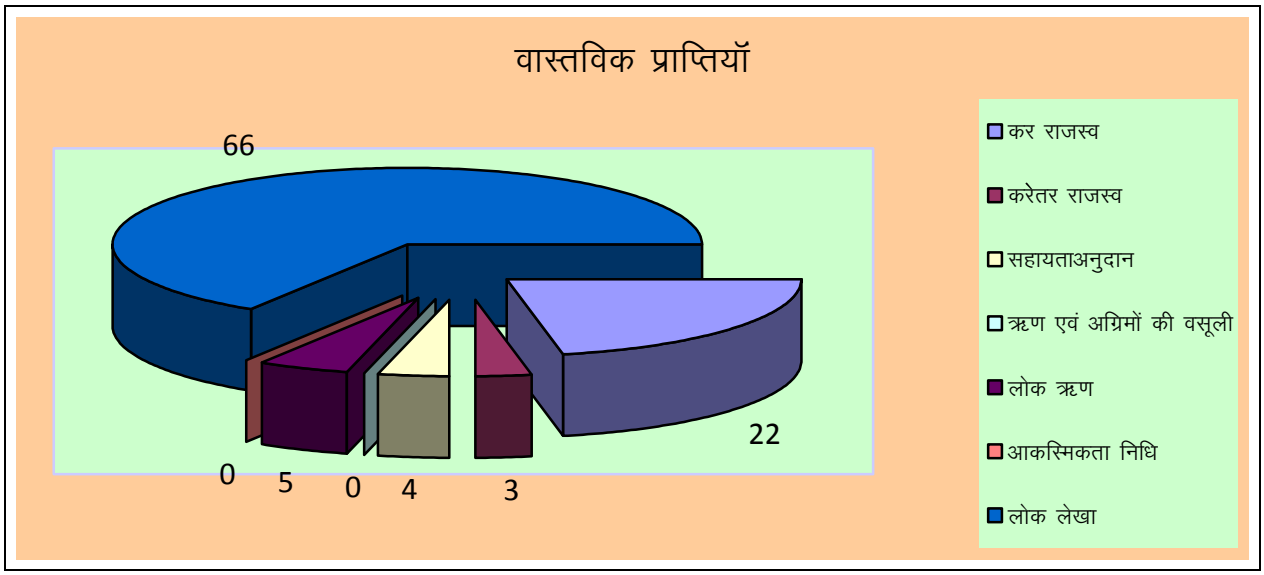

1.4.4. रूपया कहाँ गया

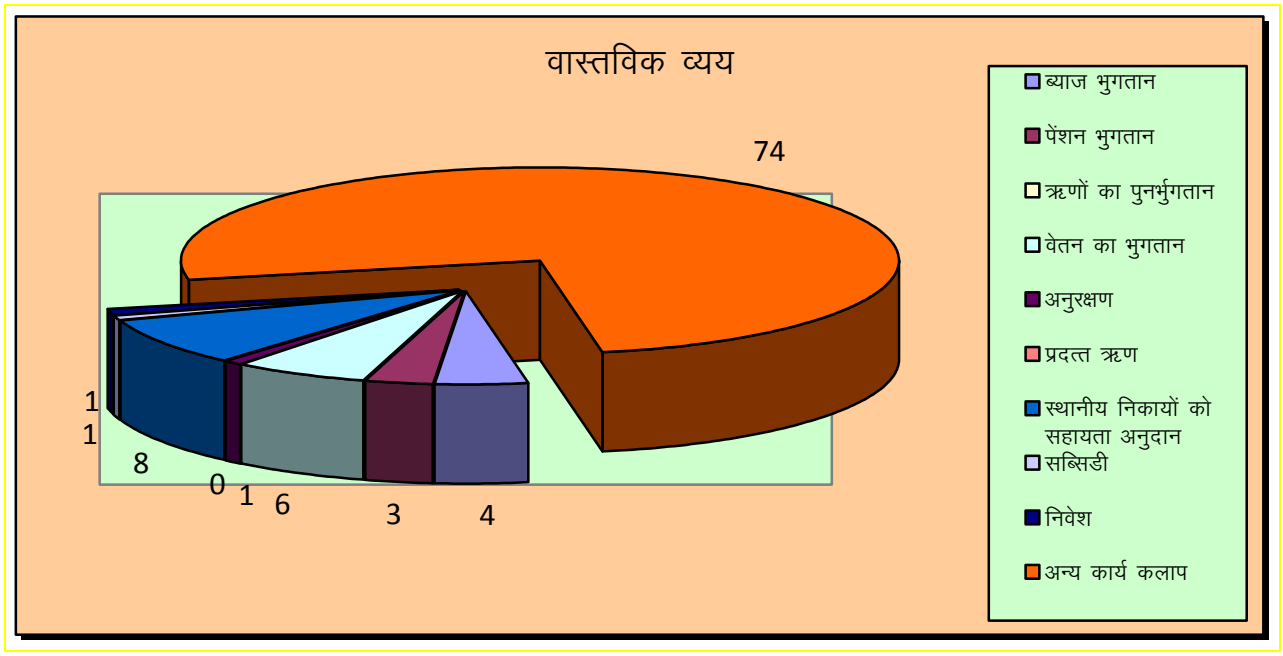

1.5 y[k d e[; v k

(करोड़ ₹ में)

de l0	en	ctV vuekiu 2010&11	okLrfod vkdM	ctV vuekiu l okLrfod vkdMk dk ifr kr	ldy jkT; ?kjyw mRikn l okLrfod vkdMk dk ifr kr
1.	कर राजस्व @	77823.09	84573.90	108.67	14.37
2.	करेतर राजस्व	14985.48	11176.21	74.58	1.90
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	18812.04	15433.65	82.04	2.62
4.	राजस्व प्राप्तियॉ (1+2+3)	111620.61	111183.76	99.61	18.89
5.	कर्ज तथा उधार की वसूली	671.33	485.17	72.27	0.08
6.	उधार एवं अन्य दायित्व (अ)	22742.49	17247.70	75.84	2.93
7.	पूंजीगत प्राप्तियॉ (5+6)	23413.82	17732.87	75.74	3.01
8.	कुल प्राप्तियॉ (4+8)	135034.43	128916.63	95.47	21.91
9.	आयोजनेत्तर व्यय (*)	89389.30	87678.74	98.09	14.90
10.	आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	88259.23	86636.08	98.16	14.72
11.	ब्याज के भुगतान पर आयोजनेत्तर व्यय (10 में से)	13492.50	14215.57	105.36	2.42
12.	आयोजनेत्तर पूॅजीगत व्यय	1130.07	1042.66	92.27	0.18
13.	आयोजनागत व्यय (*)	45645.13	41237.89	90.34	7.01
14.	आयोजनागत राजस्व व्यय	22806.98	21039.53	92.25	3.58
15.	आयोजनागत पूॅजीगत व्यय	22838.15	20198.36	88.44	3.43
16.	कुल व्यय (9+13)	135034.43	128916.63	95.47	21.91
17.	राजस्व व्यय (10+14)	111066.21	107675.61	96.95	18.30
18.	पूॅजीगत व्यय (12+15) (#)	23968.22	21241.02	88.62	3.61
19.	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) (4-17)	554.40	3508.15	632.78	0.60
20.	राजकोषीय आधिक्य (+)/घाटा (-) (4+5-16)	(-)22742.49	(-)17247.70	75.84	2.93

@ केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा ₹43464.05 करोड़ शामिल

($) सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹588466.53 करोड़ (अग्रिम) (स्रोतः निदेशक अर्थ एवं सांख्यकीय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ)

(#) पूंजीगत लेखे पर व्यय में पूंजीगत व्यय (₹20272.80 करोड़) तथा ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण (₹ 968.22 करोड़) शामिल है।

(*) व्यय में ₹350.94 करोड़ (आयोजनेत्तर) तथा ₹617.28 करोड़ (आयोजनागत) जो कि ऋण तथा अग्रिमों से संबधित है शामिल है।

(अ) उधार एवं अन्य दायित्वः निवल (प्राप्तियां – संवितरण) लोक ऋण + निवल आकस्मिकता निधि + निवल(प्राप्तियां – संवितरण) लोक लेखे तथा निवल आरम्भिक एवं अन्तिम रोकड़ शेष।

1.6 ?kkVk rFkk vkf/kD; D;k bafxr djrs gSa?

?kkVk	राजस्व तथा व्यय के अंतर की ओर इंगित करता है। घाटे का प्रकार, घाटे को किस प्रकार वित्त पोषित किया गया तथा निधियों का उपयोग वित्तीय प्रबंधन की बुद्धिमता के प्रमुख संकेतक हैं।
jktLo ?kkVk@vkf/kD;	राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के अंतर की ओर इंगित करता है। वर्तमान सरकारी स्थापना के रखरखाव हेतु राजस्व व्यय की आवश्यकता होती है। तथा आदर्शतः राजस्व प्राप्तियों से उसकी पूर्ति होनी चाहिए।
foRrh; ?kkVk@vkf/kD;	समग्र प्राप्तियों (उधारी छोड़कर) तथा समग्र व्यय के अंतर की ओर इंगित करता हैं। अतः यह अंतर व्यय को उधारी के द्वारा किस सीमा तक पोषित किया गया की ओर इंगित करता है। आदर्शतः उधारी को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।

1.6.1 jktLo ?kkVk@vkf/kD; dk izokg

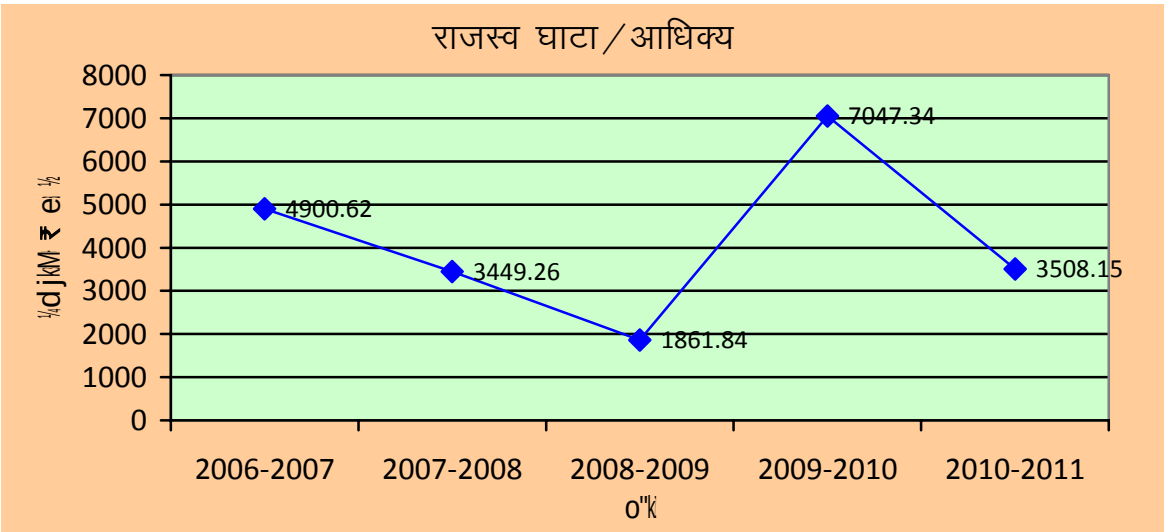

1.6.2 foRrh; ?kkVs dk izokg

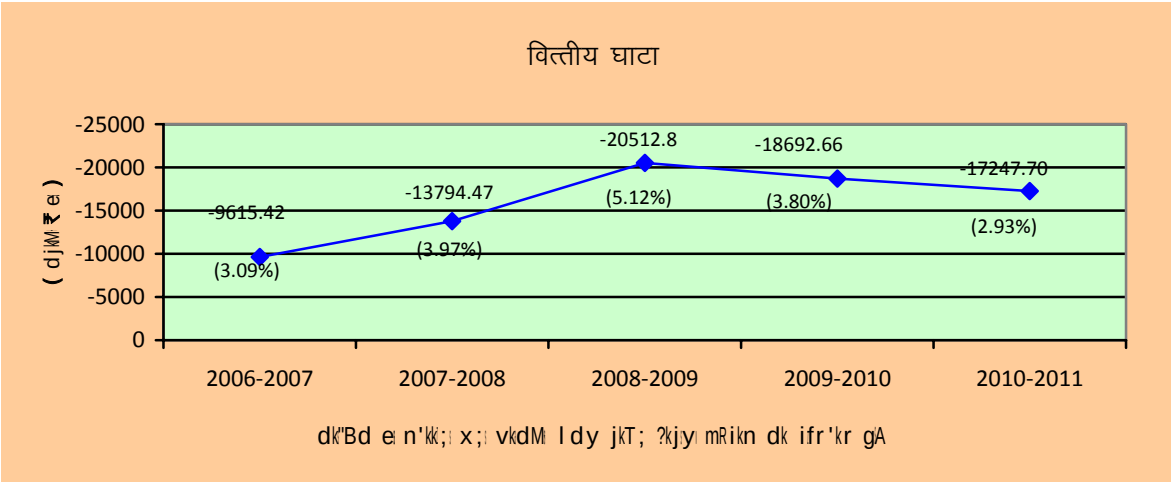

dks"Bd esa n'kkZ;s x;s vkdM+s ldy jkT; ?kjsyw mRikn dk izfr'kr gSA

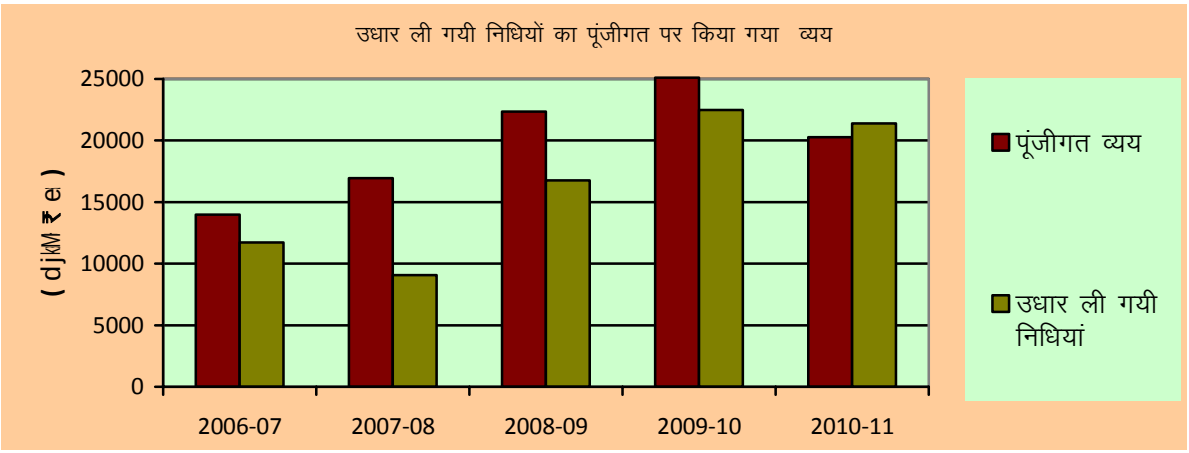

1.6.3 m/kkj yh x;h fuf/k;ksa dk iwathxr ij fd;s x;s O;; dk vuqikr

यह अपेक्षित है कि उधार ली गयी निधियों का पूर्णतः उपयोग पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु किया जाय तथा राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु किया जाय जबकि राज्य सरकार ने केवल 95% उधारी को वर्तमान वर्ष में (₹21394.08 करोड़) पूंजीगत पर (₹20272.80 करोड़) व्यय किया। अतः इससे प्रतीत होता है कि 5% उधारी (₹1121.28 करोड़) को पिछले वर्षों के सार्वजनिक ऋण के मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु उपयोग किया गया।

V/;k; II

ikfIr;k

2.1. ifjp;

सरकारी प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में वगीकृत किया जाता है। वर्ष 2010–11 के लिये कुल प्राप्तियॉ ₹ 128916.63 करोड़ था

2.2. jktLo ikfIr;k

dj jktLo	में राज्य द्वारा संग्रहित तथा प्रतिधारित किये गये कर तथा संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अंर्तगत केन्द्रीय करों में राज्य का अंश शामिल है।
djsrj jktLo	में ब्याज की प्राप्तियां, लाभांश, लाभ इत्यादि शामिल होते हैं।
lgk;rk vuqnku	अनिवार्यतः केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता का एक प्रकार। इसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से 'वाह्य सहायता अनुदान' तथा सहायता, सामग्री तथा उपकरण' शामिल होते हैं। राज्य सरकारें भी पंचायती राज्य संस्थाओं, स्वायत्त संस्थाओं इत्यादि को इसके बदले सहायता अनुदान प्रदान करती है।

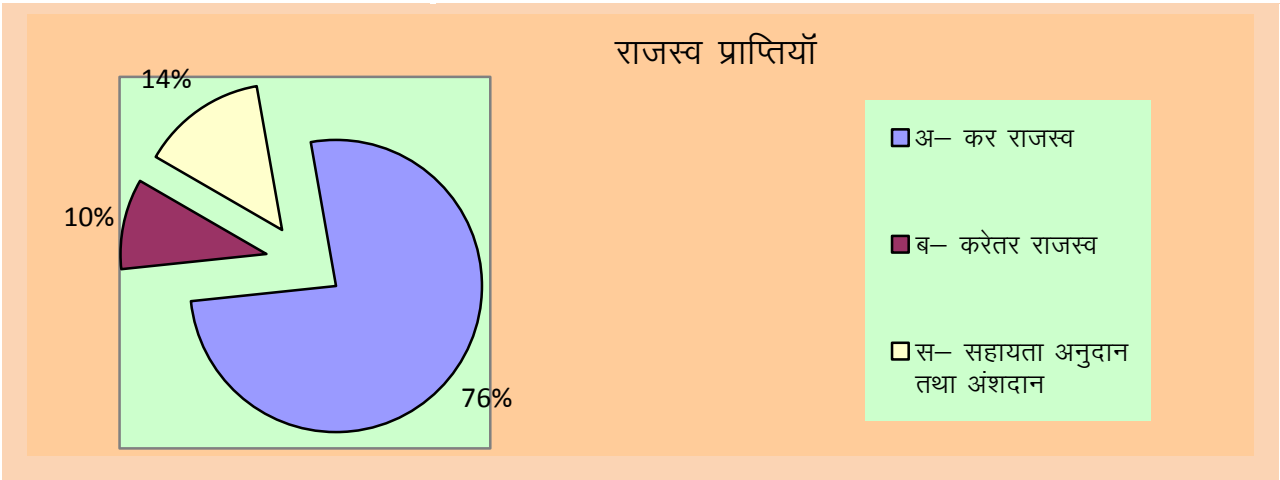

jkTLo ikfIr;k d ?kVd ¼2010&11½

(करोड़ ₹ में)

?kVd	okLrfod ikfIr;k
d& dj jkTLo	84573.90
आय एवं व्यय पर कर	25845.27
संपत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	7143.46
वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	51585.17
[k& djsrj jkTLo	11176.21
राजकोषीय सेवायें	0.04
ब्याज प्राप्तियॉं, लाभांश एवं लाभ	716.13
सामान्य सेवायें	5807.34
सामाजिक सेवायें	3019.27
आर्थिक सेवायें	1633.43
x& lgk;rk vuqnku ,oa va'knku	15433.65
;ksx& jkTLo ikfIr;k	111183.76

2.3. ikfIr;k dk izokg

(करोड़ ₹ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
dj jkTLo	46216.28 (14)	54247.06 (14)	59564.69 (13)	65674.27 (13)	84573.90 (14)
djsrj jkTLo	6532.64 (2)	5816.01 (2)	6766.56 (2)	13601.09 (3)	11176.21 (2)
lgk;rk vuqnku	7850.60 (2)	8609.40 (2)	11499.48 (3)	17145.59 (3)	15433.65 (3)
dqy jkTLo ikfIr;k	60599.52 (18)	68672.47 (18)	77830.73 (18)	96420.95 (19)	111183.76 (19)
ldy jkT; ?kjsyw mRikn (*)	336046.43(क)	383045.40(क)	443121.28(क)	518824.71(ख)	588466.53(ग)

टिप्पणीः कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है।

(*) राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद परिभाषित किया गया है।

(क) 2006–07 से 2008–09 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकडे राज्य सरकार द्वारा संशोधित किये गये है तथा अनन्तिम है।

(ख) वर्ष 2009–10 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े त्वरित है।

(ग) वर्ष 2010–11 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े अग्रिम है।

यद्यपि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2009–10 तथा 2010–11 के बीच 13.42% की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रह में वृद्धि केवल 15.31% थी। जबकि कर राजस्व में 28.78% की वृद्धि हुई, 'शिक्षा, खेल, कला, एवं संस्कृति' (₹274.25 करोड़),'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' (₹227.26 करोड़), 'अन्य सामाजिक सेवाओं' (₹62.40 करोड़), 'जल आपूर्ति तथा स्वच्छता' (₹62.50करोड़) तथा 'अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम' (₹54.31 करोड़) के अन्तर्गत संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद करेतर राजस्व में 17.83% की गिरावट आई है। करेतर राजस्व में गिरावट का मुख्य कारण वर्ष 2010–11 में भूमि व सम्पत्ति की बिक्री (₹2954.46 करोड़)पर कम वसूली, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को कम सहायता अनुदान जारी करने (₹1707.59 करोड़) तथा व्यक्तिगत जमा खाता धारकों द्वारा व्यय न की गई धनराशि (₹205.56करोड़) का कम अन्तरण करने के कारण हुई। राज्य के स्वयं के राजस्व के अन्तर्गत कुछ कर घटकों जैसे 'बिक्री, व्यापार आदि पर कर' (₹4011.34 करोड़) 'स्टाम्प तथा पॅजीकरण शुल्क' (₹ 1412.43 करोड़), 'राज्य उत्पाद शुल्क' (₹1057.43 करोड़), 'भू–राजस्व' (₹471.02 करोड़) तथा 'वाहनों पर कर' (₹413.39 करोड़) में उच्च प्रवाह का प्रदर्शन हुआ।

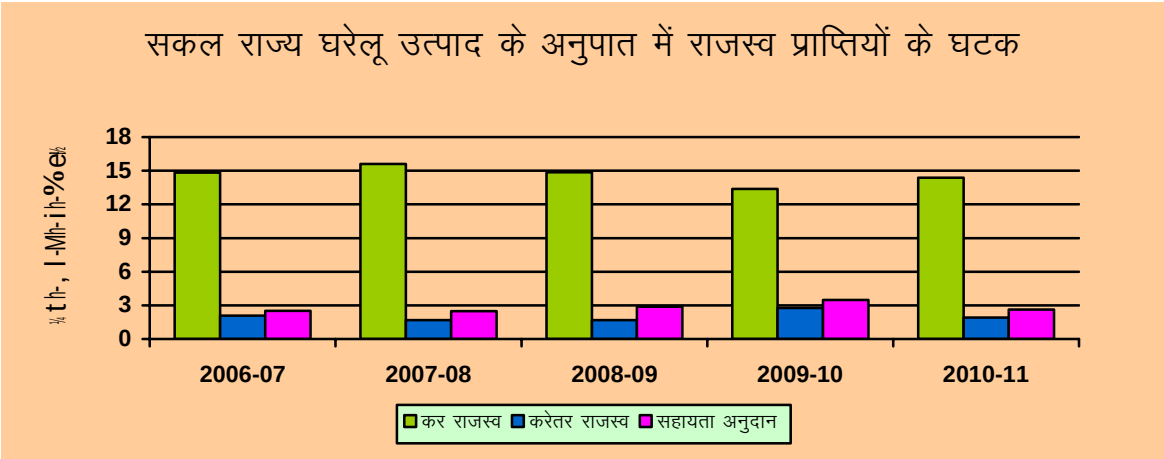

{k= okj dj jktLo

(करोड़ ₹ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आय तथा व्यय पर कर	11660.73	15552.36	16518.92	20395.89	25845.27
सम्पत्ति तथा पूँजीगत लेनदेनों पर कर	4710.33	4379.53	4697.16	5254.98	7143.46
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	29845.22	34315.17	38348.61	40023.40	51585.17
कुल कर राजस्व	46216.28	54247.06	59564.69	65674.27	84573.90

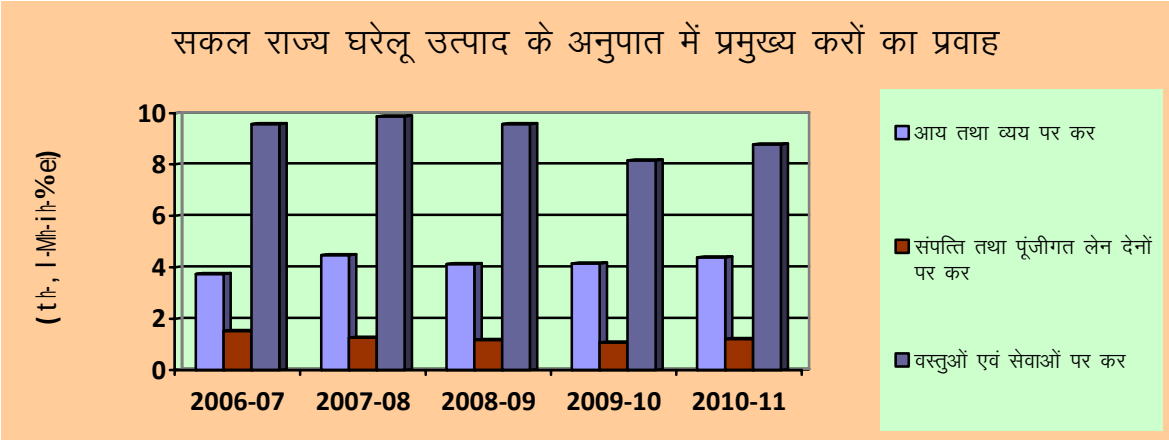

(*) मुख्यतः राज्य को केन्द्रीय करों के निवल आगम

2.4. jkT; ds Lo;a ds dj jktLo laxzg dk fu'iknu

(करोड़ ₹ में)

o'kZ	dj jktLo	dsUnzh; djksa esa jkT; dk va'k	jkT; ds Lo;a ds dj jktLo	
			/kujkf'k	ldy jkT; ?kjsyw mRikn dk izfr'kr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2006-07	46216.28	23218.31	22997.97	6.84
2007-08	54247.06	29287.74	24959.32	6.52
2008-09	59564.69	30905.72	28658.97	6.47
2009-10	65674.27	31796.67	33877.60	6.53
2010-11	84573.90	43464.05	41109.85	6.99

2.5. dj laxzg dh n{krk

(क) संपत्ति तथा पूंजीगत लेन–देनों पर कर

(करोड़ ₹ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व संग्रह	4710.33	4379.53	4697.16	5254.98	7143.46
संग्रह पर व्यय	774.86	837.64	947.91	1222.11	1568.90
कर संग्रह की दक्षता	16%	19%	20%	23%	22%

(ख) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर

(करोड़ ₹ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व संग्रह	29845.22	34315.17	38348.61	40023.40	51585.17
संग्रह पर व्यय	312.74	345.39	482.45	1155.49	1440.15
कर संग्रह की दक्षता	1%	1%	1%	3%	3%

वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर कर राजस्व का एक प्रमुख हिस्सा है। कर संग्रह की दक्षता उत्कृष्ट है। हालाकिं संपत्ति तथा पूंजीगत लेनदेन पर करों की संग्रह दक्षता में सुधार किया जा सकता है।

2.6 l?k djk e: jkT;k k dk fiNy: ikp o’kk: dk iokg

(करोड़ ₹ में)

मुख्य लेखाशीर्ष का विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
निगम कर	7246.55	9295.11	10134.47	13085.69	16892.90
निगम कर से भिन्न आय पर कर	4400.47	6238.76	6363.88	7289.26	8926.93
आय तथा व्यय पर अन्य कर	(-)1.20	(-)0.47	(-)0.33	0.00	0.00
धन कर	9.14	10.32	9.61	29.61	34.64
सीमा शुल्क	4528.61	5535.94	5907.92	4450.18	7557.41
संघ उत्पाद शुल्क	4808.75	5284.77	5152.47	3584.65	5497.76
सेवा कर	2227.44	2924.43	3338.69	3357.31	4309.45
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	(-)1.45	(-)1.12	(-)0.99	(-)0.03	244.96
l?k djk e: jkT; dk vi k	**23218.31**	**29287.74**	**30905.72**	**31796.67**	**43464.05**
dy dj jktLo	**46216.28**	**54247.06**	**59564.69**	**65674.27**	**84573.90**
dy dj jktLo e: dUnh; djk dk ifr kr	**50**	**54**	**52**	**48**	**51**

2.7 lgk;rk vuqnku

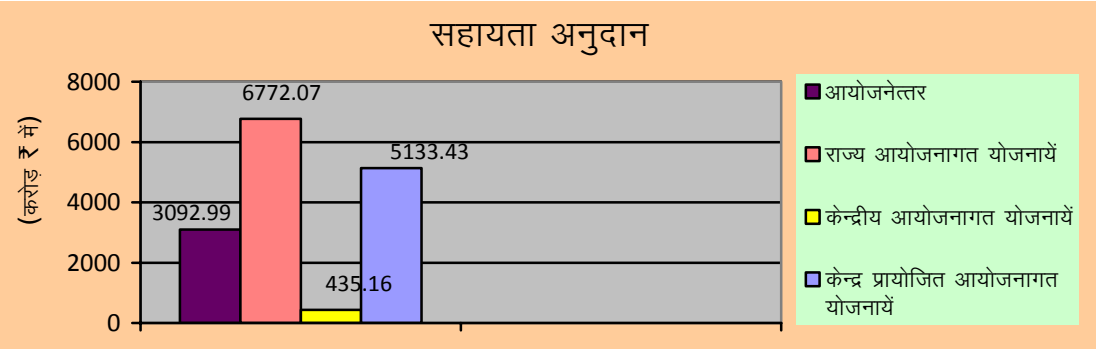

सहायता अनुदान भारत सरकार से सहायता को प्रदर्शित करता है और इसमें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी राज्य आयोजनागत योजनायें, केन्द्रीय आयोजनागत योजनायें, केन्द्र प्रायोजित योजनायें तथा वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किये गये राज्य आयोजनेत्तर अनुदान शामिल होते हैं। वर्ष 2010–11 में सहायता अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियॉं ₹15433.65 करोड़ थी जो निम्न प्रकार है:–

कुल सहायता अनुदान में गैर आयोजनागत अनुदान का हिस्सा वर्ष 2009–10 में 23% से घटकर वर्ष 2010–11 में 20% हो गया जबकि आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान का हिस्सा वर्ष 2009–10 में 33% से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 44% हो गया। राज्य आयोजनागत योजनाओं, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं में केन्द्रीय हिस्सेदारी के बजट अनुमान ₹16996.33 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार को वास्तविक रूप में ₹12340.66 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ (बजट अनुमान का 73%)

2.8. ykd _.k

पिछले पॉंच वर्षो में लोक ऋण का प्रवाह

(करोड़ ₹ में)

fooj.k	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आंतरिक ऋण	7594.30	4531.04	10762.00	15737.68	14948.00
केन्द्रीय ऋण	(-)1794.86	(-)821.20	(-)778.45	(-)917.20	(-)937.00
कुल लोक ऋण	5799.44	3709.84	9983.55	14820.48	14011.00

टिप्पणी–नकारात्मक आंकड़े प्राप्तियों से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करते हैं।

ग्यारह ऋणों जिनका योग ₹ 12000.00 करोड़ था वर्ष 2010–11 में, 8.10% से 8.56% की विभिन्न ब्याज दरों तथा वर्ष 2020–21 में विमोच्य को सममूल्य पर उगाहा गया। वर्ष 2010–11 में राज्य सरकार के कुल आंतरिक ऋण ₹21030.72 करोड़ तथा इस अवधि के दौरा प्राप्त हुए केन्द्रीय ऋण घटक ₹363.36 करोड़ के सापेक्ष पूंजीगत व्यय केवल ₹20272.80 करोड़ (95%) यह इंगित करता है कि शेष लोक ऋण का उपयोग गैर विकासात्मक प्रयोजनो के लिये किया गया।

अध्याय III

व्यय

3.1 परिचय

संवितरणों को राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग संगठन को दिन–प्रतिदिन चलाने के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी सम्पति बनाने के लिए किया जाता है या ऐसी संपत्ति की उपयोगिता बढ़ाने के लिए या स्थायी देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है। व्यय को आगे आयोजनागत तथा आयोनेत्तर के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

सामान्य सेवाएं	इसमें पुलिस, जेल, सार्वजनिक निर्माण विभाग इत्यादि शामिल हैं।
सामाजिक सेवाएं	इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति कल्याण इत्यादि शामिल हैं।
आर्थिक सेवाएं	इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि शामिल हैं।

3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2010–11 में राजस्व व्यय ₹107675.61 करोड़ में, आयोजनागत व्यय ₹1767.45 करोड़ तथा आयोजेनेत्तर व्यय के अन्तर्गत ₹1623.15 करोड़ के कम संवितरण के कारण बजट अनुमानों से ₹3390.60 करोड़ की गिरावट आयी । इस गिरावट को राजस्व प्राप्तियों में ₹436.85 करोड़ (0.39%) की गिरावट को उत्तर प्रदेश एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2004 के संदर्भ में राज्य द्वारा राजस्व आधिक्य को बनाये रखने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

पिछले पॉच वर्षो के दौरान राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत बजट अनुमानों के सापेक्ष व्यय में कमी को नीचे दर्शाया गया हैः–

(करोड़ ₹ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
बजट अनुमान	55021.23	67871.38	74828.67	92866.65	111066.21
वास्तविक	55698.90	65223.21	75968.89	89373.61	107675.61
अन्तर	(–)677.67	2648.17	(–)1140.22	3493.04	3390.60
बजट अनुमान से अंतर का प्रतिशत	1	4	2	4	3

बजट अनुमानों के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में गिरावट (0.39%) को संयोजित कर राज्य सरकार को एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के संदर्भ में राजस्व अधिशेष सृजन करने की समस्या का सामना करना पड़ा। कुल राजस्व व्यय का लगभग 66% आयोजनेत्तर व्यय (वेतन,पेंशन इत्यादि) के लिए प्रतिबद्ध था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने केवल 82% अनुमानित सहायता अनुदान को जारी किया। परिणामतः वर्ष 2009–10 में आयोजनागत व्यय 17% ₹15701.18 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹21039.53 करोड़ हो गया।

3-2-1 jktLo 0;; dk lDVj forj.k ¼2010&11½

¼djksM+ ₹ esa½

घटक	राशि	प्रतिशत
क– राजकोषीय सेवायें	3025.60	2
(i) संपत्ति एवं पूँजी लेन–देन पर कर संग्रह	1568.90	1
(ii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर संग्रह	1440.15	1
(iii) अन्य राजकोषीय सेवायें	16.55	–
ख– राज्य के अंग	1194.82	1
ग– ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन	21538.26	20
घ– प्रशासनिक सेवा	9607.87	9
ड़– पेंशन एवं प्रकीर्ण सामान्य सेवायें	12652.61	12
च– सामाजिक सेवायें	39566.71	36
छ– आर्थिक सेवायें	15725.03	14
ज– सहायता अनुदान एवं अंशदान	4364.71	4
कुल व्यय (राजस्व लेखे)	107675.61	100

3-2-2 jktLo 0;; ¼2006&11½ dk eq[; ?kVd

¼djksM+ ₹esa½

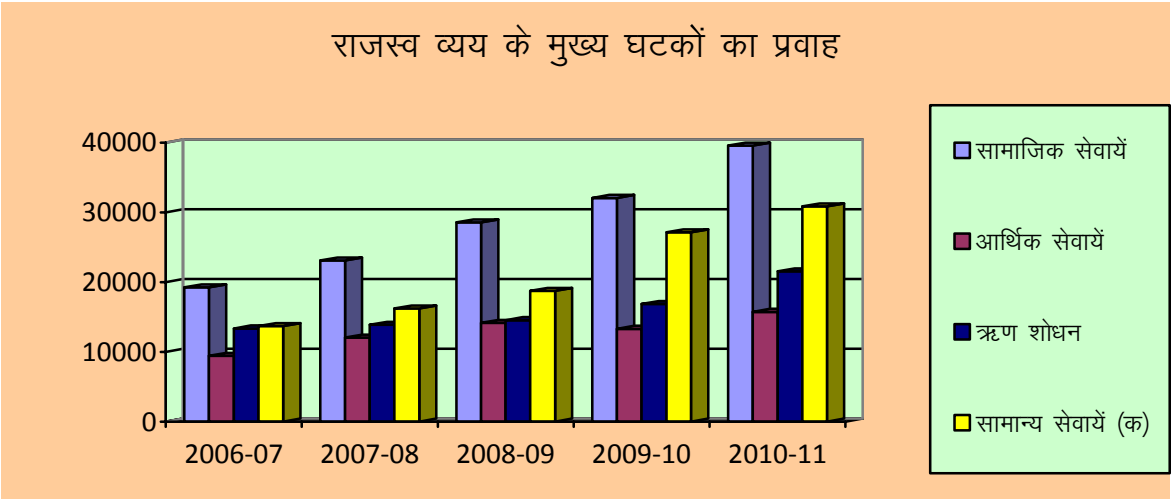

(क) सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्ष 2048 (ऋण को घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन) एवं मुख्य लेखाशीर्ष 2049(ब्याज की अदायगी) सम्मिलित नहीं है तथा मुख्य लेखा शीर्ष 3604 (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) सम्मिलित है।

आर्थिक सेवाओं पर व्यय (जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्र ग्रामीण विकास, कृषि और सिंचाई) में अन्य सेवाओं में लगातार वृद्धि के विरूद्ध सीमांत वृद्धि है।

3-3 i/thxr 0;;

वर्ष 2010–11 में पूँजीगत संवितरण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.61% बजट अनुमानों की तुलना मे ₹2727.20 करोड़ कम था। (आयोजनागत व्यय के अन्तर्गत ₹2639.79 करोड़ तथा आयोजनेत्तर व्यय के अन्तर्गत ₹87.41 करोड़ का कम भुगतान हुआ।)

3-3-1 i/thxr 0;; dk {k=okj forj.k

वर्ष 2010–11 के दौरान सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹2096.19 करोड़ (वृहत् सिंचाई पर ₹1457.61 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹190.62 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹447.96करोड़) व्यय किया। उपर्युक्त के अलावा सरकार ने भवन के निर्माण पर ₹272.51 करोड़ तथा विभिन्न निगमों/कम्पनियों/समितियों में ₹3993.47 करोड़ का निवेश किया।

(करोड़ ₹ में)

de l0	lDVj	jkf'k	ifr'kr
1&	lkekU; lok;s & पुलिस, भूमि राजस्व इत्यादि	1002.05	5
2&	Lkkekftd lok;s& शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति,अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण इत्यादि	4795.47	22
3&	vkfFkd lok;s& कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई,सहकारिता,ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि।	14475.28	68
4&	ऋण एवं अग्रिम संवितरित	968.22	5
	dqy	21241.02	100

3-3-2 fiNys ikp o"kks e i/thxr 0;; dk {k=okj forj.k

(करोड ₹ में)

de l0	lDVj	2006&07	2007&08	2008&09	2009&10	2010&11
1–	सामान्य सेवायें	653.81	574.89	841.35	610.97	1002.05
2–	सामाजिक सेवायें	2179.83	2113.63	2945.44	4702.02	4795.47
3–	आर्थिक सेवायें	11150.49	14261.86	18558.93	19778.24	14475.28
4–	ऋण तथा अग्रिम	887.55	741.96	807.01	941.85	968.22
	dqy	14871.68	17692.34	23152.73	26033.08	21241.02

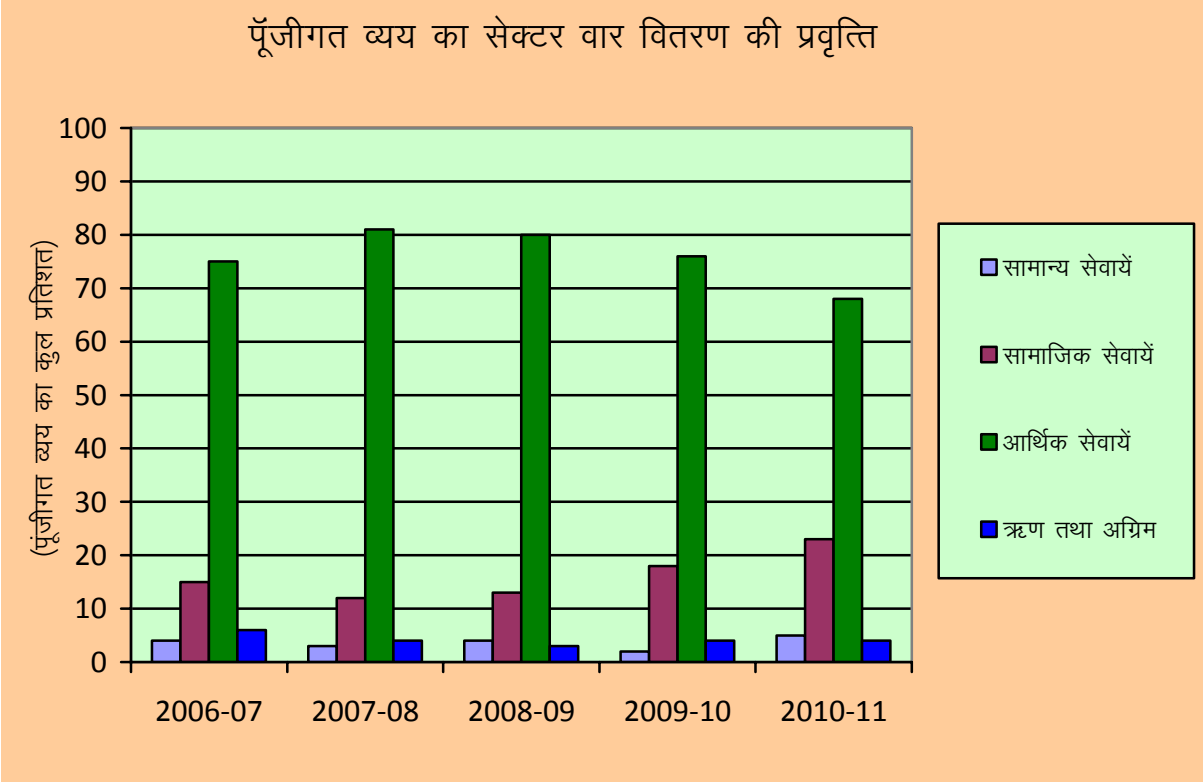

पूँजीगत व्यय का सेक्टर वार वितरण की प्रवृत्ति
(पूंजीगत व्यय का कुल प्रतिशत)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
सामान्य सेवायें
सामाजिक सेवायें
आर्थिक सेवायें
ऋण तथा अग्रिम

V/;k; IV

vk;kstukxr ,oa vk;kstusRrj O;;

4-1 O;; dk forj.k ¼2010&11½

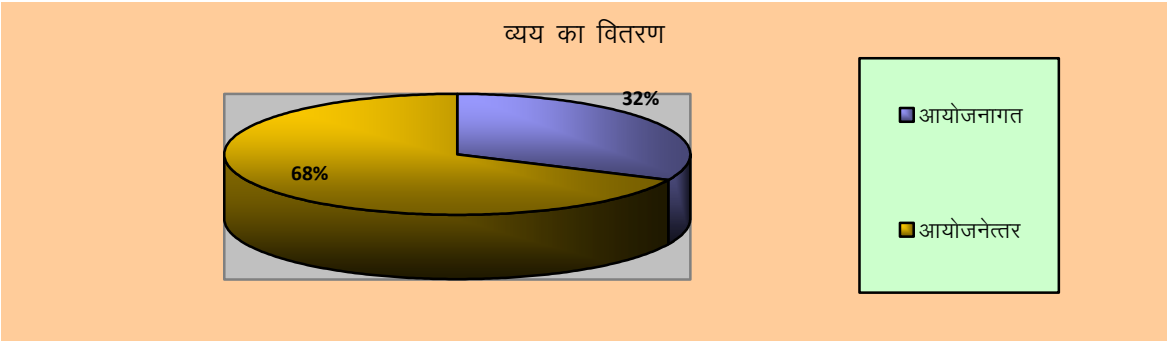

4-2 vk;kstukxr O;;

वर्ष 2010–11 के दौरान आयोजनागत व्यय ₹41237.89 करोड़ था जो कुल व्यय का 32% है। (₹29799.41 करोड़ राज्य योजना के अन्तर्गत, ₹10821.20 करोड़ केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाएं के अन्तर्गत तथा ₹617.28 करोड़ कर्जे तथा अग्रिमों के अन्तर्गत)।

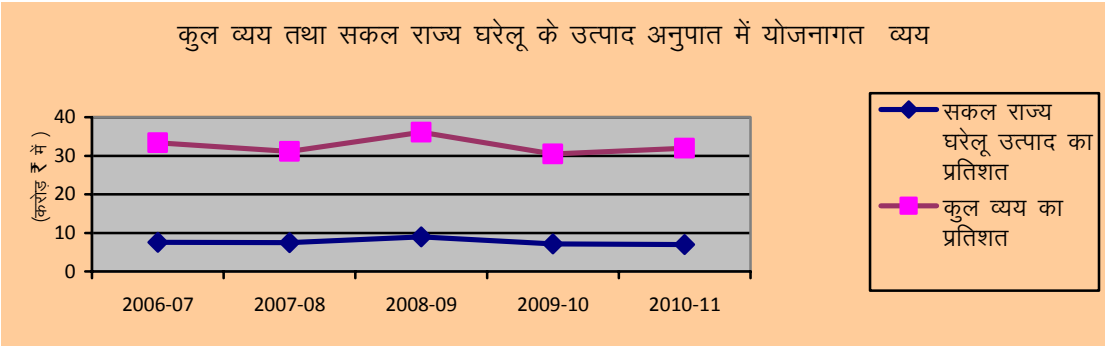

4-2-1 iwathxr [kkrk dh vUrxZr vk;kstukxr O;;

(करोड़ ₹ में)

	2006&07	2007&08	2008&09	2009&10	2010&11
कुल पूँजीगत व्यय	14871.68	17692.34	23152.73	26033.08	21241.02
पूँजीगत व्यय (आयोजनागत)	13874.35	14087.28	18477.81	19433.51	20198.36
कुल पूँजीगत व्यय की तुलना में पूँजीगत व्यय (आयोजनागत) का प्रतिशत	93	80	80	75	95

4-3 vk;ktuRrj O;;

वर्ष 2010–11 के दौरान आयोजनेत्तर व्यय ₹ 87678.74 करोड़ था जो कुल व्यय 68 प्रतिशत है। (₹86636.08) राजस्व के अन्तर्गत तथा ₹1042.66 करोड़ पूॅजीगत के अन्तर्गत)।

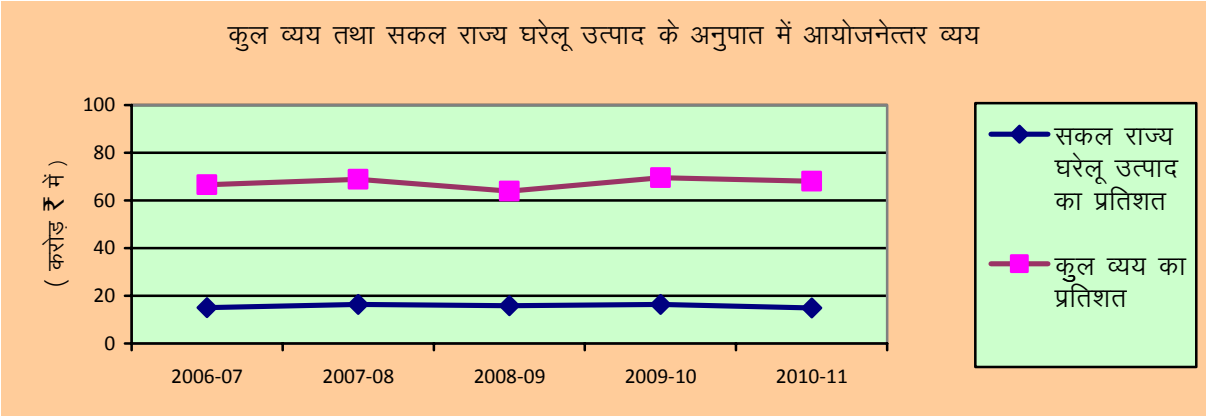

4-4- ifrc) O;;

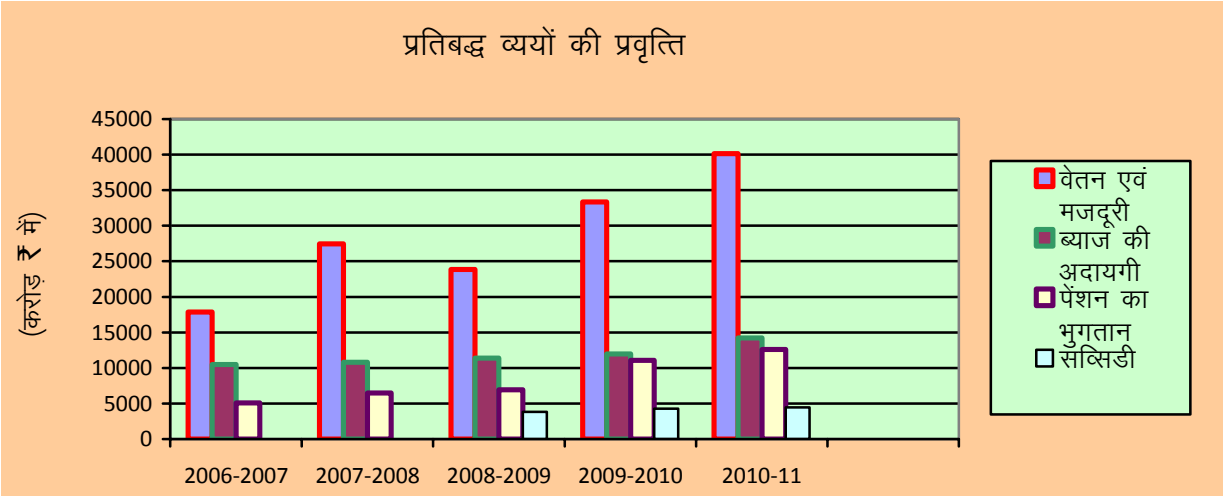

?kVd	2006&07	2007&08	2008&09	2009&10	2010&11
प्रतिबद्ध व्यय	33394.23	44736.22	45977.27	60685.06	71429.90
राजस्व व्यय	55698.90	65223.21	75968.89	89373.61	107675.61
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	55	65	59	63	64
राजस्व व्यय की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	60	69	61	68	66

प्रतिबद्ध व्यय की उर्ध्व प्रवृत्ति सरकार के लिए विकास व्यय के लचीलेपन को कम कर देती हैं।

V/;k; V

fofu;kx y[k

5.1. fofu;kx y[k 2010&11 dk lkjka'k

(करोड़ ₹ में)

de l0	0;; dh idfr	ey vuqnku	vuqiwjd vuqnku	iqufofu;kx	;kx	okLrfod 0;;	cpr (-) 0;;kf/kD; (+)
1	राजस्व मतदेय भारित	90292.03 21142.57	2363.21 0.61	शून्य शून्य	92655.24 21143.18	86541.42 21725.47	(-)6113.82 582.29
2	पूंजीगत मतदेय भारित	36002.83 386.52	3042.40 0.00	शून्य शून्य	39045.23 386.52	31557.85 367.72	(-)7487.38 (-)18.80
3	लोक ऋण भारित	18164.96	6.40	शून्य	18171.36	7383.08	(-)10788.28
4	ऋण एवं अग्रिम मतदेय	1025.26	49.10	शून्य	1074.36	968.22	(-)106.14
	;kx	167014.17	5461.72	शून्य	172475.89	148543.76	(-)23932.13

5.2. xr ikp o'kks ds vUrxr cpr@0;;kf/kD; dk iokg

(करोड़ ₹ में)

o'k	cpr (-)/0;;kf/kD; (+)				;kx
	jktLo	iwthxr	ykd _.k	_.k rFkk vfxze	
2006-07	(-)2624.06	(-)477.11	(-)8673.31	(-)0.85	(-)11775.33
2007-08	(-)4217.26	(-)1797.46	(-)10223.64	(-)200.38	(-)16438.74
2008-09	(-)6998.64	(-)335.60	(-)10001.67	(-)101.79	(-)17437.70
2009-10	(-)7276.68	(-)3472.01	(-)10220.43	(-)542.30	(-)21511.42
2010-11	(-)5531.53	(-)7506.18	(-)10778.28	(-)106.14	(-)23932.13

5.3. i;kIr cpr

किसी अनुदान के अन्तर्गत पर्याप्त बचत यह दर्शाती है कि या तो किन्हीं योजनाओं को लागू नहीं किया गया या धीमी गति से लागू किया गया।

निरन्तर और पर्याप्त बचत वाली कुछ अनुदानों को नीचे दर्शाया गया हैः

(करोड़ ₹ में)

vuqnku la[;k	uke	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	(-)58.36	(-)53.38	(-)74.10	(-)49.93	(-)195.37
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	(-)13.90	(-)39.32	(-)93.28	(-)128.63	(-)66.65
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	(-)20.40	(-)9.24	(-)14.49	(-)15.68	(-)14.31
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	(-)14.49	(-)25.04	(-)22.00	(-)19.53	(-)41.69
83	समाज कल्याण विभाग (अनु0 जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	(-)481.07	(-)631.93	(-)870.11	(-)1015.85	(-)213.95
86	सूचना विभाग	(-)34.88	(-)35.40	(-)47.17	(-)39.82	(-)69.36

2010–11 के दौरान, अनुपूरक अनुदान ₹5461.72 करोड़ (कुल व्यय का 3.68 प्रतिशत) कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुआ, जहाँ वर्ष के अन्त में मूल आवंटनों के सापेक्ष पर्याप्त बचत है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गये हैं:–

(करोड़ ₹ में)

vuqnku la[;k	uke	vuqHkkx	ey	vuqiwjd	okLrfod O;;
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व पूंजीगत	3005.09 4795.00	8.55 100.00	2747.10 4263.52
21	खाद्य तथा रसद विभाग	पूंजीगत	10622.97	1.24	6661.22
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व पूंजीगत	6739.09 495.56	90.50 118.82	6679.92 258.26
37	नगर विकास विभाग	राजस्व पूंजीगत	1045.06 2040.14	283.24 20.00	616.51 1373.02
40	नियोजन विभाग	राजस्व पूंजीगत	223.81 1150.26	134.21 18.21	174.31 287.71
42	न्याय विभाग	राजस्व	882.36	127.05	778.83
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व पूंजीगत	714.99 327.50	96.51 100.00	539.50 261.94
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	6302.82	241.12	5758.09
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	1871.25	25.00	1324.36
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व	3082.76	90.00	3024.76
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	पूंजीगत	3884.88	79.80	3861.06
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	पूंजीगत	3988.10	192.46	3094.30
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	1972.40	11.40	1969.09

अध्याय VI

परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

6.1 परिसम्पत्तियाँ

लेखे का वर्तमान प्रारूप सरकारी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन जैसे भूमि, भवन इत्यादि, सिवाय उस वर्ष के जब उसको अधिग्रहीत/क्रय किया गया है, को नहीं प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से जहाँ लेखे वर्तमान वर्ष में होने वाले दायित्वों का प्रभाव दर्शाते हैं, वे भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ने वाले कुल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं सिवाय सीमित सीमा तक ब्याज दर तथा वर्तमान ऋणों की अवधि के।

वर्ष 2010–11 के अंत तक गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में अंश पूंजी पर कुल निवेश ₹38272.54 करोड़ था। तथापि,वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश ₹26.81 करोड़ जो निवेश का (0.07%) था। वर्ष 2010–11 के दौरान निवेश ₹3993.47 करोड़ बढ़ा जबकि लाभांश आय में ₹0.37 करोड़ की कमी हुई।

31 मार्च 2010 को रिजर्व बैंक के पास रोकड़ शेष ₹198.23 करोड़ था और जो मार्च 2011 के अंत में बढ़कर ₹416.63 करोड़ हो गया।

6.2 ऋण एवं देयताएं

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकार को ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो राज्य संचित निधि की सुरक्षा पर उधार लेने की शक्ति प्रदान करता है जैसा राज्य विधान मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया गया है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विवरण निम्नवत हैः–

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	लोक लेखा (*)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	कुल देयताएं	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
2006-07	104009.95	30.95	58146.02	17.30	162155.97	48.25
2007-08	107719.78	28.12	66528.02	17.37	174247.80	45.49
2008-09	117703.32	26.56	69707.38	15.73	187410.70	42.29
2009-10	132523.80	25.54	69196.58	13.34	201720.38	38.88
2010-11	146534.80	24.90	78250.45	13.30	224785.25	38.20

* उचन्त एवं प्रेषण के अवशेष शामिल नहीं है।
टिप्पणी आंकडे वर्ष के अंत में प्रगामी अवशेष है।

वर्ष 2009–10 की तुलना में लोक ऋण तथा अन्य देयताओं में ₹23064.87 करोड़ (11%) की निवल वृद्धि है।

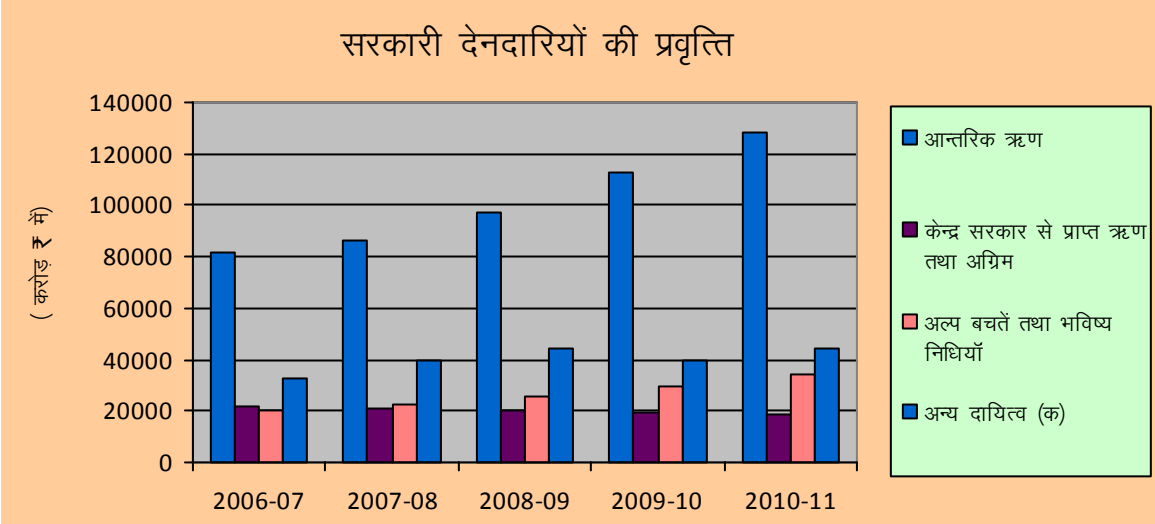

(क) बगैर ब्याज की देयतायें जैसे स्थानीय निधियों की जमा। अन्य उद्दिष्ट निधियाँ इत्यादि।

6-3 iR;kHkkfr;k

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों इत्यादि द्वारा लिये ऋण और पूँजी तथा ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार की प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्नवत् हैः–

¼djksM+ ₹ esa½

o'kZ ds vUr esa	vf/kdre jkf'k iR;kHkwr ¼ewy½ doy	31 ekpZ 2011 dks cdk;k jkf'k	
		ewy	C;kt
2006–07	12234.86	11055.58	0.00
2007–08	18144.16	12735.83	0.00
2008–09	27891.55	16084.00	0.00
2009–10	29311.36	19592.26	445.88
2010–11	29778.16	20162.03	0.00

V/;k; VII

vU; en

7-1 egRo i.kZ yu nuk d pdk dk 0;ixr gkuk

पूरे वर्ष के व्यपगत चेकों के लेखांकन के दौरान यह तथ्य जानकारी में आया कि भविष्य निधियों और बीमा निधियों के आहरण/भुगतान तथा राजस्व प्राप्तियों की वापसी से संबंधित चेक काफी संख्या में व्यपगत पाये गये थे। इस सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के लिये व्यपगत चेकों की स्थिति निम्नवत् है–

¼djkM ₹e½

o'k	0;ixr pdk dk dy eY;	8009&jkT; Hkfo'; fuf/k;k d 0;ixr pdk dk eY;	8011 th0vkb0,l0d 0;ixr dk eY;	jktLo ikfIr;k d okilh d lc/k e 0;ixr pdk dk eY;
2008–09	63.01	3.40	1.03	1.91
2009–10	55.36	3.44	1.10	3.82
2010–11	83.07	3.39	1.55	5.02

7-2 jkT; ljdkj }kjk fy;s x;s _.k ,o vfxe

वर्ष 2010–11 के अंत में राज्य सरकार द्वारा लिये गये कुल ऋण एवं अग्रिम ₹10145.58 करोड़ थे। इसमें से सरकारी निगमों/कंपनियों, गैर सरकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की धनराशि ₹10014.79 करोड़ थी। 31 मार्च 2011 के अन्त तक मूल धनराशि ₹869.09 करोड़ तथा ब्याज ₹40.13 करोड़ की वसूली की गई थी।

7-3 LFkkuh; fudk;k rFkk vU; dk foRrh; lgk;rk

विगत पांच वर्षों के दौरान, स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान वर्ष 2006–07 में ₹12485.48 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹30749.32 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगरपालिकाओं को अनुदान (₹2348.83 करोड़) दिये गये जो कुल अनुदान का 7.64 प्रतिशत था।

विगत पांच वर्षो में सहायता अनुदानों का विवरण निम्नवत् हैः—

o'k	ftyk ifj'kn	fudk;	iapk;r lfefr;k	vU;	tksM
2006—07	—	—	—	—	12485.48
2007—08	—	—	—	—	15360.39
2008—09	2177.38	2940.39	472.27	15823.95	21413.99
2009—10	1878.21	2461.07	491.54	20222.70	25053.52
2010—11	959.26	1389.57	—	28400.49	30749.32

7-4 jksdM "ks'k rFkk jksdM "ks'k dk fuos'k

¼djksM ₹ e½

?kVd	1 vizSy 2011 dks	31 ekpZ 2011 dks	"kq) of) ¼$½@deh ¼&½
रोकड़ शेष	198.23	414.63	(+) 216.40
रोकड़ शेष का निवेश (भारत सरकार के ट्रेजरी बिल)	3194.59	9877.81	6683.22
उद्दिष्ट निधि शेष से निवेश	45.20	45.20	0.00
(क) निक्षेप निधि	45.20	45.20	0.00
(ख) प्रत्याभूति मोचन निधियॉ	0.00	0.00	0.00
(ग) अन्य निधियॉ	0.00	0.00	0.00
व्याज की उगाही	217.36	231.87	(+) 14.51

वर्ष 2010—11 के अन्त में नकद शेषों तथा उद्दिष्ट निधि शेषों से विनियोग में उपयोग करने के बावजूद राज्य सरकार के पास सकारात्मक अन्तिम रोकड़ शेष था। इन निवेशों पर ब्याज की प्राप्तियों में 7% की वृद्धि हुई।

7-5 ys[kk dk feyku

लेखे की परिशुद्धता तथा विश्वसनीयता, अन्य बातों के अलावा, विभागों के पास उपलब्ध आंकड़ों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के मिलान पर निर्भर करती है। यह कार्य सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखों के स्तर पर किया जाता है। कई विभागों के लेखे का मिलान कार्य बकाया है।

वर्ष 2010—11 में राज्य सरकार के कुल व्यय 97.9% (₹124155.26 करोड) में से मात्र ₹127948.41 करोड का मिलान किया गया।

इसी भांति, कुल प्राप्तियॉं ₹111183.76 करोड में से मात्र 99.8% (₹111001.16 करोड़) का ही मिलान किया गया। विभिन्न विभागों के मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखों के मिलान की स्थिति निम्नवत् हैः–

fooj.k	e[; fu;=.k vf/kdkfj;ksa dh la[;k	i.kZ #i ls feyku fd;k x;k	vkaf'kd #i ls feyku fd;k x;k	feyku ugha fd;k x;k
व्यय	151	137	2	12
प्राप्तियॉं	43	38	..	5
tksM+	194	175	2	17

feyku esa dqN fpjdkfyd pwd djus okyksa dh lwph fuEuor~ gS&

dze la[;k	foHkkx@eq[; fu;=.k vf/kdkfj;ksa ds uke	cdk;k o"kZ
1.	सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग, उ0 प्र0 लखनऊ	2009–10 तथा 2010–11
2	सचिव, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड तथा राजनैतिक पेंशन उ0 प्र0 लखनऊ	2009–10 तथा 2010–11
3.	निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0 लखनऊ	2009–10 तथा 2010–11
4.	निदेशक, कृषि, उ0 प्र0, लखनऊ	2009–10 तथा 2010–11
5.	प्रधान सचिव, कृषि शिक्षा, उ0 प्र0,लखनऊ	2010–11
6.	सचिव, नगरीय विकास, उ0 प्र0 लखनऊ	2009–10 तथा 2010–11
7.	रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट, उ0 प्र0 इलाहाबाद	2009–10 तथा 2010–11
8.	सचिव, राजस्व, उ0 प्र0 लखनऊ	2010–11
9.	एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश लखनऊ	2010–11
10.	आयुक्त समाज कल्याण/प्रधान सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ	2009–10 तथा 2010–11
11.	सचिव, न्याय तथा कानूनों सलाह, उत्तर प्रदेश,लखनऊ	2010–11
12.	निदेशक, जन जाति कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	2010–11
13,	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां तथा पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	2010–11
14.	निदेशक, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास तथा अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	2010–11

7-6 dks'kkxkjksa }kjk izLrqr ys[ks

कोषागारों द्वारा प्रारम्भिक लेखों का प्रस्तुतीकरण संतोष जनक रहा। फिर भी लोक निर्माण तथा वन अनुभागों के लेखे के प्रस्तुतीकरण में सुधार किया जाना चाहिये।

7-7 lkj vkdfLedrk ¼,-lh-½ fcy rFkk foLr`r vkdfLedrk ¼Mh-lh-½ fcy

जब धन की आवश्यकता अग्रिम रुप में हों या आहरण एवं वितरण अधिकारी आवश्यकतानुसार वास्तविक धनराशियों की गणना न करने की स्थिति में उन्हें बिना समर्थित दस्तावेजों के सार आकस्मिकता बिलों के माध्यम से धनराशि आहरित करने की अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार के सभी सार आकस्मिकता बिलों का निस्तारण 30 दिनों के अन्दर विस्तृत आकस्मिकता बिलों के माध्यम से किया जाना चाहिये। यह तथ्य कि 31 मार्च 2011 के अन्त में 12451 विस्तृत आकस्मिकता बिल जिनकी धनराशि ₹131.77 करोड़ थी, अनिस्तारित थे जो यह इंगित करते हैं कि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

7.8 0;; dh cMh ek¡x

वित्तीय नियम अनुबद्ध करते हैं कि व्यय की बड़ी मॉग, विशेषकर वित्तीय वर्ष के आखिरी माह में, एक प्रकार से वित्तीय नियमितिता का उल्लंघन मानते हैं तथा इससे बचना चाहिये। ऐसा देखा गया है कि कुछ विभाग इस आचरण में 42 प्रतिशत तक संलग्न रहे तथा कुल व्यय के 100 प्रतिशत से भी अधिक व्यय माह मार्च में किया जो निम्नवत हैः–

(करोड़ ₹ में)

लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च2011 के दौरान	वर्ष 2010–11 में विभाग के कुल व्यय के सापेक्ष माह 3/11 का प्रतिशत
2040	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	88.06	87.83	144.52	949.25	1269.66	905.36	71
4055	पुलिस पर पूंजीगत व्यय	37.69	28.65	61.28	128.25	255.87	110.14	43
4202	शिक्षा,खेलकूद,कला, तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय	36.22	180.67	134.61	358.54	710.04	314.39	44
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	30.74	164.08	188.27	649.13	1032.22	523.24	51
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत व्यय	0.00	4.98	13.74	46.56	65.28	45.92	70
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	5.91	15.60	36.69	57.67	115.87	49.87	43
4401	कृषि अर्थ व्यवस्था पर पूंजीगत व्यय	-8.27	47.34	-126.65	91.21	3.63	84.31	2325
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत व्यय	29.08	24.69	36.43	100.42	190.62	79.51	42
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत व्यय	0.00	0.00	0.00	6.19	6.19	3.79	61
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत व्यय	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	100
5053	नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत व्यय	-0.75	6.54	5.20	14.41	25.40	14.24	56
6217	नगरीय विकास हेतु ऋण	0.00	0.12	0.03	13.02	13.17	13.02	99

7.9 अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की प्रतिबद्धता

वर्ष 2010–11 तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर अनुमानित लागत ₹3287.34 करोड़ के विरूद्ध कुल व्यय ₹2735.21 करोड़ किया गया। वर्ष 2010–11 तक अनुमानित लागत को पुनरीक्षित करके ₹3747.17 करोड़ कर दिया गया। वर्ष 2010–11 में अभियांत्रिकी विभागों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया गया जिस पर राज्य सरकार द्वारा ₹876.52 करोड़ कुल व्यय किया गया। दिनांक 31.03.2011 तक देय भुगतानों ₹56.85 करोड़ का भुगतान किया जाना है।

विभिन्न परियोजनाओं के मूल अनुमानित लागत (₹3287.34 करोड़) में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। दिनांक 31.03.2011 के अन्त तक, सिंचाई परियोजनाओं के पुनरीक्षित अनुमानों में असाधारण वृद्धि पायी गयी जो ₹2162.93 करोड़ से ₹3595.97 करोड़ हो गयी। 'अपूर्ण पूंजीगत कार्यों' का संक्षिप्त अवलोकन नीचे दिया गया हैः–

(करोड़ ₹ में)

क्रम संख्या	कार्य की श्रेणी	कार्य की अनुमानित लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त में प्रगामी व्यय	लम्बित भुगतान	पुनरीक्षण के उपरान्त अनुमानित लागत
1.	सड़क कार्य	1047.67	273.42	487.24	46.63	151.20
2.	भवन	76.74	33.37	47.71	10.22	..
3.	सिंचाई परियोजनाएं	2162.93	569.73	2200.26	..	3595.97
	योग	3287.34	876.52	2735.21	56.85	3747.17

नोट: i) अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की प्रतिबद्धता के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना वित्त लेखे 2010–11 के परिशिष्ट X में उपलब्ध है।

ii) उपर्युक्त तालिका में दर्शायी गयी राशियों को विभिन्न प्रभागों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों से संग्रहित किया गया है।